बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना पोर्टल (PMSP) की मार्गदर्शिका–

1. प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना–

राज्य के अन्दर एवं राज्य के बाहर प्रवेशिकोत्तर कक्षा में अध्ययनरत् अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के प्रतिभावान छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए राज्य स्कीम, स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय एवं केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत् प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना संचालित है। इस योजना के तहत् विधिवत मान्यता प्राप्त महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/संस्थान में अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति की स्वीकृति दी जाती है। इस योजना के तहत् राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा राशि उपलब्ध करायी जाती है।

इस छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग के वैसे छात्र/छात्राओं जिनका वार्षिक पारिवारिक आय अधिसीमा रु० 1.50 लाख एवं राज्य के अत्यंत पिछड़ा वर्ग के वैसे छात्र/छात्राओं जिनका वार्षिक पारिवारिक आय अधिसीमा रु० 2.50 लाख है, को क्रमशः पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के संकल्प संख्या–321 दिनांक–05.02.2019 एवं संकल्प संख्या–291 दिनांक–31.01.2020 के आलोक में प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग के वैसे छात्र/छात्राओं जिनका वार्षिक पारिवारिक आय अधिसीमा रु० 2.50 लाख तथा वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग के वैसे छात्र/छात्राओं जिनका वार्षिक पारिवारिक आय अधिसीमा 3.00 लाख है, को क्रमशः विभागीय संकल्प संख्या–1295 दिनांक–16.08.2021 एवं संकल्प संख्या–1385 दिनांक–25.08.2021 के आलोक में प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, कल्याण विभाग के संकल्प संख्या–3098 दिनांक–20.12.2017 में निर्धारित मापदंड एवं दिशा–निर्देश के आलोक में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना अन्तर्गत राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के वैसे छात्र/छात्राओं जिनके माता–पिता/अभिभावक की वार्षिक आय रु० 2,50,000.00 (रुपये दो लाख पचास हजार) है, को प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति का लाभ दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वैसे छात्र/छात्राओं जिनका वार्षिक पारिवारिक आय अधिसीमा रु० 03.00 लाख है। विभागीय संकल्प संख्या–2416 दिनांक–18.08.2021 के आलोक में प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। साथ ही समय–समय पर पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के द्वारा निर्धारित आय अधिसीमा के आलोक में योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा।

2. योजना का संचालन–

Post Matric Scholarship योजना पूर्व में NSP 2.0 Portal के माध्यम से संचालित किया जा रहा था, परन्तु इसे और भी अधिक सुविधाजनक बनाते हुए बिहार सरकार, शिक्षा विभाग के द्वारा NIC, Bihar के माध्यम् से Post Matric Scholarship Portal (PMSP) जिसका वेबसाईट

www.pmsonline.bih.nic.in को निर्मित किया गया है। साथ ही मोबाईल एप (Post Matric Scholarship bihar) के माध्यम से संस्थान तथा छात्र/छात्रा अपना पंजीकरण कर सकते है। इस पोर्टल के माध्यम् से पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना DBT के माध्यम् से संचालित किया जायेगा, जिसके क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर छात्रवृत्ति समिति गठित है। छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि शैक्षणिक सत्र 2019–20 एवं 2020–21 का आवेदन एक साथ इस पोर्टल के माध्यम से लिया जायेगा, जिससे छात्रों को ससमय भुगतान में आसानी हो सके। तदोपरान्त पोर्टल के माध्यम से सत्र 2021–22 के लिए आवेदन प्राप्त किया जायेगा।

3. जिला छात्रवृत्ति समिति का स्वरुप–

जिला स्तर पर प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति की स्वीकृति और वितरण हेतु जिला स्तरीय छात्रवृत्ति समिति गठित है, जो निम्नरुपेण हैः–

(i)	उप विकास आयुक्त–	पदेन अध्यक्ष
(ii)	जिला शिक्षा पदाधिकारी–	पदेन सदस्य
(iii)	जिला के सभी अनुमंडल पदाधिकारी–	पदेन सदस्य
(iv)	जिला के सभी अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी–	पदेन सदस्य
(v)	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (SSA)–	पदेन सदस्य सचिव
(vi)	जिला कल्याण पदाधिकारी–	पदेन सदस्य
(vii)	जिला के अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति के एक–एक एवं अन्य पिछड़े वर्ग के तीन समाजसेवी–	सदस्य
(viii)	जिला के पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सांसद/विधायक या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि–	सदस्य

❖ **जिला स्तर पर बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् अन्तर्गत कार्यरत MIS Co-ordinator नवनिर्मित पोर्टल के तकनीकी नोडल इन्चार्ज रहेंगे।**

4. प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति हेतु आवेदकों की पात्रता–

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना बिहार राज्य के स्थायी निवासी पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं के लिए संचालित है। इस योजना के अन्तर्गत निम्नांकित छात्र/छात्रा प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति हेतु आवेदन के लिए सक्षम होंगे।

(i) आवेदक को बिहार राज्य के स्थायी निवासी होना चाहिए।

(ii) आवेदक की जाति राज्य सरकार द्वारा निर्गत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित हो।

(iii) प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति हेतु संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित पात्रता के अनुसार आवेदक सहित माता–पिता/अभिभावक का अधिकतम कुल वार्षिक आय वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं हेतु रु० 1.50 लाख, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं हेतु रु० 2.50 लाख, वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं हेतु रु० 2.50 लाख तथा वित्तीय वर्ष

2021–22 के लिए रु० 3.00 लाख तक होना चाहिए। तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आवेदक के माता–पिता/अभिभावक के वित्तीय वर्ष 2019–20 एवं 2020–21 के लिए सभी स्त्रोतों से अधिकतम कुल वार्षिक आय रु० 2,50,000.00 (रुपये दो लाख पचास हजार) तक है एवं विभागीय संकल्प संख्या–2416 दिनांक–18.08.2021 के आलोक मे योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2021–22 से आय की अधिसीमा 03.00 लाख तक की गयी है। भविष्य में माता पिता/अभिभावकों के अधिकतम लाभ के संबंध में संबंधित विभाग द्वारा निर्गत आदेश लागू माना जाएगा।

(iv) प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत मैट्रिक/प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उच्चतर कक्षाओं में अध्ययनरत् छात्र/छात्रा ही छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते है।

(v) एक स्तर का कोर्स उत्तीर्ण करने के बाद दूसरे समकक्ष कोर्स में अध्ययन् करने पर छात्रवृत्ति के हकदार नहीं होंगे, यथा–आई0एस0सी0 की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद आई0ए0, बी0ए0 की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद बी० कॉम० एवं एम0एस0 सी0 करने के बाद एम0ए0 कक्षा में अध्ययन करने पर छात्रवृत्ति नहीं दी जायेगी।

(vi) पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग में आवेदक के माता–पिता के मात्र 02 (दो) पुत्रों को ही प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी। यह नियम पुत्रियों पर लागू नहीं होगा, किन्तु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति में यह नियम लागू नहीं होगा।

5. छात्रवृत्ति की स्वीकृति–

(i) प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (SSA) के स्तर पर विभिन्न पाठ्यक्रमों से संबंधित नवीन एवं नवीनीकरण आवेदनों की विहित प्रपत्र में अलग–अलग सूची तैयार की जायगी।

(ii) आवेदन पत्रों को नवीन एवं नवीनीकरण के आधार पर सूचीबद्ध करते हुए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (SSA) सभी आवेदन पत्र एवं उसकी सूची (विहित प्रपत्र में) जिला छात्रवृत्ति समिति के समक्ष उपस्थापित की जायेगी।

(iii) सर्वप्रथम नवीनीकरण (Renewal) आवेदनों की स्वीकृति दी जायेगी।

(iv) नवीनीकरण आवेदकों की स्वीकृति के उपरान्त क्रमानुसार प्राप्त नवीन आवेदनों को स्वीकृत किया जायेगा।

(v) आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि के 01 (माह) के अंदर छात्रवृत्ति की स्वीकृति की कार्रवाई पूर्ण कर ली जायेगी।

(vi) छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्रों का चयन, स्वीकृति एवं वितरण में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए जिला छात्रवृत्ति समिति खासकर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (SSA) पूर्णरुपेण उत्तदायी माने जायेंगे।

6. छात्रवृत्ति की दर–

(i) भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश के आलोक में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग, कल्याण विभाग, बिहार सरकार तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, कल्याण विभाग, बिहार सरकार

द्वारा समय–समय पर निर्गत संकल्प में निर्धारित मापदंडों के आधार पर छात्रवृत्ति एवं अनुरक्षण भत्ता देय होगा।

7. छात्रवृत्ति हेतु आवेदन एवं अनुमोदन की प्रक्रिया–

प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा PMSP Portal विकसित किया गया। पोर्टल में संस्थानों के पंजीकरण, छात्रों द्वारा आवेदन, संस्थान एवं आवेदनों की जांच तथा छात्रवृत्ति के अनुमोदन एवं भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण रूप से ऑनलाईन की गयी है। छात्र/छात्राओं को DBT के माध्यम् से स्वीकृत छात्रवृत्ति की राशि सीधे उनके खाता में अंतरित की जायेगी।

(क) आवेदकों का पंजीकरण–

(i) प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त करने हेतु छात्र/छात्राओं को ऑन लाईन पंजीकरण कराना अनिवार्य है। राज्य सरकार के द्वारा विज्ञापन के माध्यम से निर्धारित तिथि के अन्दर आवेदकों को ऑनलाईन आवेदन करना आवश्यक होगा।

(ii) छात्र/छात्राओं के आधार एवं मोबाईल का सत्यापन पंजीकरण के दौरान दिये गये मोबाईल पर OTP के माध्यम से होगा।

(iii) उक्त प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् आवेदक को Login करना होगा, जिससे उन्हें Applied Scholarship Details प्राप्त होगा, जिसके अनुसार आवेदक को अपना व्यक्तिगत विवरण, मोबाईल सत्यापन एवं बैंक खाता का विवरण अंकित करना होगा। बैंक खाता में आवेदक के नाम का होना अनिवार्य है। साथ ही संस्थान, पाठ्यक्रम एवं प्रमाण पत्रों का विवरण भी सही–सही अंकित करना अनिवार्य होगा।

(iv) ऑनलाईन आवेदन Submission के क्रम में आवेदक द्वारा (*) Marked Field को भरना आवश्यक होगा। अन्यथा फार्म का Final Submission नहीं होगा। Final Submission के बाद आवेदक द्वारा इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

(v) आवेदक के द्वारा पोर्टल पर प्रविष्ट किए गए रजिस्ट्रेशन से संबंधित आवेदन को अंतिम रूप से Submit करने के पूर्व Preview Generate होगा, जिससे कि आवेदक अपने प्रविष्टि का सही–सही मिलान कर इस पोर्टल पर अंतिम रूप से Submit कर सकेगें। अंतिम रूप से Submit किए गए आवेदन का PDF Print आवेदक अपने पास सुरक्षित रख सकेंगे।

(vi) आवेदक द्वारा पंजीकृत किये गये आवेदन का Final Submission किये जाने के उपरान्त संबंधित संस्थान के Login ID पर आवेदन अग्रसारित हो जायेगा।

(vii) आवेदक द्वारा आवेदन में दिये गये जाति/आवासीय/आय प्रमाण पत्र से संबंधित प्रमाण पत्र संख्या का सत्यापन BPSM (बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन), बैंक खाता की जाँच PFMS के सर्वर से एवं आधार नं0 की जाँच आधार सर्वर से ऑनलाईन माध्यम से किया जायेगा।

(viii) आवेदकों के बैंक से संबंधित विवरणी के परिवर्तन अथवा त्रुटि पाये जाने की स्थिति में आवेदन पुनः आवेदक के लॉगिन पर अंतरित हो जायेगा, जहाँ आवेदक द्वारा त्रुटि निराकरण कर पुनः Portal पर सही विवरणी अपलोड किया जाएगा।

(ख) संस्थानों का पंजीकरण–

(i) राज्य एवं राज्य के बाहर के संस्थानों एवं उनमें संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों का निबंधन Post Matric Scholarship Portal (PMSP) पर आवश्यक होगा। इसके लिए पोर्टल में दिए गए विभिन्न सूचनाओं की वांछित प्रविष्टि संस्थान के द्वारा की जायेगी। संस्थान सभी विवरणी को सही–सही एवं स्पष्ट रूप से भरते हुए अपने संस्थान का निबंधन पोर्टल कर सकेंगे। इसके लिए संस्थान के AISHE Code/U-DISE Code/PR Code, मोबाईल नम्बर, Email Id, संस्थान की मान्यता/सम्बद्धता से संबंधित प्रमाण–पत्र, संस्थान में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों से संबंधित मान्यता/स्वीकृति का पत्र/संगत अभिलेख, संस्थान का TAN No. की आवश्यकता होगी।

(ii) संस्थानों को उनके द्वारा रजिस्टर्ड किए गए मोबाईल नम्बर पर User ID एवं पासवर्ड प्राप्त होगा, जिसे संस्थान आवश्यकतानुसार परिवर्तित कर सकेंगे। संस्थान को प्राप्त User ID एवं पासवर्ड की गोपनीयता बनाये रखना संस्थान की जिम्मेवारी होगी।

(iii) संस्थान के संबंध में यह अपेक्षित होगा कि अपने किसी पदाधिकारी को इस योजना के लिए नोडल पदाधिकारी मनोनीत करें तथा उनके नाम, मोबाईल नं0, ई–मेल आई0 डी0 की जानकारी पोर्टल पर अंकित करें।

(iv) संस्थान का यह दायित्व होगा कि पोर्टल पर अंकित किये गये सभी प्रविष्टि तथा अपलोड किये गये सभी अभिलेख/प्रमाण पत्र/संगत पत्र इत्यादि वैध हो तथा इनसे संबंधित किसी भी प्रकार के छेड़–छाड़ तथा गलत जानकारी की प्रविष्टि किये जाने की जिम्मेवारी संबंधित संस्थान की होगी। इन अभिलेख/प्रमाण पत्र/संगत पत्र को राज्य सरकार द्वारा गठित समिति को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा। संस्थान द्वारा किसी तरह का अवैध क्रियाकलाप पाये जाने पर उनके विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई बिहार सरकार द्वारा की जा सकती है।

(ग) संस्थान द्वारा आवेदन का सत्यापन :–

(i) आवेदक द्वारा पोर्टल पर ऑनलाईन किये गये आवेदन की सूचना पोर्टल के माध्यम से संबंधित संस्थान के नोडल पदाधिकारी के लॉगइन में प्राप्त होगी।

(ii) संस्थान के नोडल पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि 15 दिनों के अन्दर उनके संस्थान से संबंधित सभी पंजीकृत आवेदनों का सत्यापन/अनुमोदन कर दें।

(iii) आवेदन में त्रुटि रहने पर इससे संबंधित सूचना ससमय आवेदक को दे दी जायेगी, जिससे की आवेदन को आवेदक के द्वारा ऑनलाईन ठीक किया जा सकेगा।

(घ) संस्थान एवं आवेदन का सत्यापन :– थर्ड पार्टी एजेन्सी (TPA)

संस्थान एवं आवेदन का सत्यापन राज्य सरकार द्वारा चयनित इस योजना के लिए थर्ड पार्टी एजेन्सी (TPA) के द्वारा किया जायेगा, थर्ड पार्टी एजेन्सी (TPA) चयन की प्रक्रिया पूर्ण होने तक पूर्व से निर्धारित प्रक्रिया का ही पालन किया जायेगा। पूर्व से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (SSA) तथा जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा गठित समिति के द्वारा संस्थान एवं आवेदन का सत्यापन किया जायेगा।

बिहार के अन्दर के संस्थान– जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (SSA)

(i) संबंधित संस्थान द्वारा अनुशंसित आवेदन संबंधित जिला के ADPC/APO (जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (SSA), द्वारा नामित पदाधिकारी) के Login ID में प्रदर्शित होगा।

(ii) जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (SSA) तथा जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा गठित सत्यापन समिति को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (SSA) के द्वारा विभिन्न संस्थानों द्वारा ऑनलाईन प्राप्त आवेदन के सत्यापन हेतु नामित किया जायेगा।

(iii) सत्यापन हेतु गठित समिति मोबाईल App के द्वारा संस्थान में जाकर विहित प्रपत्र में सत्यापन करेंगे तथा सभी सूचनाओं को मोबाईल App के माध्यम से अपलोड करेंगे।

बिहार के बाहर के संस्थान– थर्ड पार्टी एजेन्सी (TPA)

(i) राज्य से बाहर वैसे संस्थान जिनके छात्रों द्वारा इस योजना से संबंधित आवेदन पोर्टल पर किया गया है, उसका सत्यापन थर्ड पार्टी एजेन्सी (TPA) चयन की प्रक्रिया पूर्ण होने तक पूर्व से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

(ii) राज्य स्तर से विभिन्न राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश में अवस्थित संस्थानों के सत्यापन हेतु टीम गठित करने का निदेश सभी जिलों को निर्गत किया जायेगा। इसके आधार पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (SSA) तथा जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा संयुक्त टीम गठित कर संस्थानों का सत्यापन किया जायेगा।

(iii) सत्यापन हेतु गठित समिति PMSP हेतु विकसित मोबाईल App के माध्यम से संस्थान में जाकर विहित प्रपत्र में सत्यापन करेंगे तथा सभी सूचनायें मोबाईल App पर अपलोड करेंगे।

(ड़) **छात्रवृत्ति का अनुमोदन :–**

Maker- DPO (SSA) द्वारा नामित ADPC/APO-Maker के रुप में कार्य करने हेतु प्राधिकृत होगें।

(i) सत्यापन के उपरान्त सभी आवेदन आवेदक के गृह जिला के आधार पर संबंधित जिला के ADPC/APO (जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (SSA), द्वारा नामित पदाधिकारी) के Login ID में प्रदर्शित होगा।

(ii) Maker द्वारा आवेदन, संस्थान द्वारा सत्यापन एवं थर्ड पाटी एजेन्सी के जांच के आधार पर योजना के दिशा–निदेश के अनुसार भुगतान हेतु प्रस्ताव तैयार किया जायेगा तथा अनुशंसा सहित अग्रसारित किया जायेगा।

Checker–जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (SSA) शिक्षा विभाग

(i) ADPC/APO (SSA) द्वारा अग्रसारित सभी आवेदन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (SSA) के Login ID में प्रदर्शित होगा। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा इन आवेदनों को स्वीकृत/अस्वीकृत करने हेतु अनुशंसित किया जा सकेगा।

(ii) जिला स्तर पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (SSA), शिक्षा विभाग के माध्यम से स्वीकृति तथा अस्वीकृति हेतु अनुशंसित दोनों कोटि के आवेदनों का अनुमोदन हेतु जिला स्तर पर उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष उपस्थापित किया जायेगा; जहाँ आवेदनों का अन्तिम रुप से स्वीकृत/अस्वीकृत किया जाएगा।

Approver- उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला छात्रवृत्ति समिति

(i) जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (SSA), शिक्षा विभाग के माध्यम से स्वीकृत तथा अस्वीकृत दोनों कोटि के आवेदनों को अनुमोदन हेतु जिला स्तर पर उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष उपस्थापित किया जायेगा; जहाँ आवेदनों की अन्तिम रुप से स्वीकृति/अस्वीकृति प्रदान की जाएगी। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा सभी अनुशंसित आवेदन संबंधित उप विकास आयुक्त की लॉगिन में ऑनलाईन प्रदर्शित होगी तदनुरुप उनके द्वारा जिला छात्रवृत्ति समिति के निर्णय के आलोक में आवेदको के भुगतान सबंधी प्रस्ताव का ऑनलाईन अनुमोदन DSC के माध्यम से किया जायेगा।

(ii) जिला छात्रवृत्ति समिति द्वारा अनुशंसित छात्रों की सूची की हस्ताक्षरित एवं स्कैन कॉपी पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा।

(च) **भुगतान**

(i) जिला छात्रवृत्ति समिति के अनुमोदन एवं अनुशंसा के आधार पर मुख्यालय स्तर से जिलों द्वारा स्वीकृत आवेदन पत्र का भुगतान विहित प्रक्रिया के अनुसार PFMS/CFMS के माध्यम से कराया जायेगा।

(ii) PMSP अंतर्गत विभिन्न जिलों द्वारा स्वीकृत एवं अनुशंसित आवेदन मुख्यालय स्तर पर भुगतान हेतु गठित DBT कोषांग के नोडल पदाधिकारी के लॉगइन में प्राप्त होंगे।

नोडल पदाधिकारी क्रमिक रूप से उनके लॉगइन में प्राप्त अनुशंसा के आधार पर भुगतान की कार्रवाई करेंगे।

(iii) नोडल पदाधिकारी DBT कोषांग द्वारा DSC का उपयोग कर NIC की सहायता से जिलों के द्वारा अनुमोदित एवं अनुशंसित छात्रों तथा छात्रवृत्ति की राशि के आधार पर PFMS/CFMS के माध्यम से छात्रों के बैंक खाता में राशि का अन्तरण किया जायेगा।

उपयोगिता प्रमाण पत्र–

(i) नोडल पदाधिकारी DBT कोषांग PFMS PORTAL से भुगतान की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में Generate कर हस्ताक्षरित प्रति लेखा शाखा

को उपलब्ध करायेंगे। लेखा शाखा द्वारा सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरान्त पोर्टल द्वारा Generate किया गया उपयोगिता प्रमाण पत्र से संबंधित विभागो को उपलब्ध करायेंगे।

निदेशालय स्तर पर DBT कोषांग–

(i) निदेशालय स्तर पर प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति के सुचारु रुप से कार्यान्वयन के लिए एक कोषांग का गठन होगा। इसके लिए एक नोडल अधिकारी नामित किये जायेंगे।

(ii) यह कोषांग छात्रों की संख्या के हिसाब से बजट के प्रावधान के लिए कार्रवाई करेंगे।

(iii) विभिन्न विभागों यथा पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, NIC, BPSM, BEP आदि से समन्वय स्थापित करने की जिम्मेवारी होगी।

(iv) इस योजना से संबंधित व्यय की उपयोगिता प्रमाण पत्र देने की जिम्मेवारी लेखा शाखा तथा DBT कोषांग की होगी। इस कार्य में संबंधित बैंक तथा NIC के माध्यम से सहायता प्रदान की जायेगी।

पोर्टल/डैशबोर्ड/ प्रशिक्षण /तकनीकी सहायता–

(i) DBT कोषांग के द्वारा समय–समय पर जिला स्तरीय एवं राज्य स्तरीय प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी। इसमें विभिन्न विभागों के द्वारा इस पोर्टल तथा योजना के बारे में जानकारी दी जायेगी।

(ii) राज्य एवं जिला स्तर पर इस योजना की नियमित समीक्षा के लिए NIC के द्वारा Dashboard तथा Login Credential उपलब्ध कराया जायेगा।

(iii) Users के उपयोग एवं सहमति हेतु Frequently Asked Question FAQ NIC के द्वारा तैयार कर Portal पर Upload किया जाएगा।

(iv) Portal से संबंधित छात्र/छात्राओं के शिकायत/त्रुटि निराकरण के संबंध में राज्य स्तर पर शिकायत निवारण पदाधिकारी नामित करते हुए शिकायत निवारण केन्द्र की स्थापना की जाएगी, जिसका दूरभाष संख्या पोर्टल पर अंकित रहेगा।

(v) जिला स्तर पर प्रभारी पदाधिकारी MIS SSA, Portal के संचालन हेतु नोडल पदाधिकारी होगें, राज्य स्तर पर IT Manager नोडल पदाधिकारी नामित किया जाएगा। IT Manager एवं सभी MIS प्रभारी इस पोर्टल के तकनीकी Issues को NIC के सहयोग से दूर करायेगें तथा User Agencies यथा Student/Institution/TPA/Maker/Checker/Approver को प्रशिक्षित करायेंगे।

(vi) नोडल पदाधिकारी, DBT कोषांग उक्त योजनाओं से संबंधित जानकारी आवश्यकतानुसार भारत सरकार को उपलब्ध करायेंगे।

(vii) पोर्टल का API (Application Programming Interface) का लिंक भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों को देने की कार्रवाई NIC के द्वारा किया जाएगा।

8. शिकायत निवारण कोषांग–

पोर्टल के उपयोग के संबंध में शिकायत/तकनीकी सहायता के लिए राज्य स्तर पर NIC की टीम एवं जिला स्तर पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (SSA) की टीम द्वारा की जायेगी।